

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/ई-9-11/सी 07/990

भोपाल, दिनांक 15/6/07

//आदेश//

म. प्र. शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भरती तथा पदोन्नति नियम 1982 में संशोधन संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-64/06/बीस-1 दिनांक 21.3.2007 को प्रकाशित असाधारण राजपत्र अनुसार व्याख्याता की पदोन्नति हाईस्कूल प्राचार्य के पद पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधित नियमों के प्रकाश में संचालनालय के आदेश दिनांक 2.4.2007 द्वारा व्याख्याता से हाईस्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया। इसके परिपेक्ष्य में नवीन पदोन्नत हाईस्कूल प्राचार्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप पूर्व से हाईस्कूल प्राचार्य के रूप में पदस्थ व्याख्याता जिन्होंने अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दी है, को विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर शासन एकल नस्ती क्रमांक 591 दिनांक 11.6.2007 पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 5 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र	पूर्व हाईस्कूल प्राचार्य के पद पर पदस्थ व्याख्याता का नाम	विषय	पूर्व संस्था	नवीन पदांकित संस्था
1	2	3	4	5
1	श्रीमती लता ठाकुर	रसायन	शास.कन्या हाईस्कूल पडवार जबलपुर	शास.बा.उ.मा.वि.बघराजी जबलपुर
2	श्री डी.पी.डहरवार	गणित	शास.क.उमावि चांद छिन्दवाडा	शास.उमावि बम्होरीमाला दमोह
3	श्री आर.पी.पटेल	गणित	शास.उमावि सिंगोडी कटनी	शास.उमावि नकैला सतना
4	श्री विनोद कुमार गौतम	वाणिज्य	शास.हाईस्कूल चोरबरी सतना	शास.व्यंकट उमावि क.2 सतना

आयुक्त, लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/6/07

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.2/ई-9-11/सी 07/991  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. कलेक्टर जिला जबलपुर/कटनी/छिन्दवाडा/दमोह/सतना म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर/रीवा/सागर
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर/कटनी/छिन्दवाडा/दमोह/सतना म.प्र.
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर/कटनी/छिन्दवाडा/दमोह/सतना म.प्र.।
8. संबंधित संस्था प्राचार्य ।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश